

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

(वन विभाग परिसर, प्रताप सर्किल, चित्तौड़गढ़-312001; Ph&Fax : 01472-241049; email : dcf.chitor.forest@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2025 -26/ 10410

दिनांक : 9.6.2025

निमित्त,

सहायक अभियन्ता, (प व स)

अ.वि.वि.नि. लि., बेगूं

विषय :- Diversion of 6.54 ha of forest land in favour of Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited for creation of 33 KV line to new grid sub-station Jogniya Mata, Chittorgarh Territorial Division. (Proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/2020)

प्रसंग :- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर का पत्र क्रमांक दिनांक 15.5.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा निम्नानुसार आक्षेप लगाए गए हैं।
अतः उक्त आक्षेपों की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :-

क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	At the 24th REC, it was determined that the User Agency must supply accurate Employment Generation data and an area calculation sheet prior to its presentation to the REC. Therefore, State Govt is requested to submit the correct data of employment Generation and area calculation sheet.	
2	The transmission line shall be laid underground only and accordingly, you are requested to revise the proposal.	
3	इस संबंध में राज्य शासन से यह अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड करायें ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।	

भवदीय

Rahul

(राहुल झाझडिया)

उप वन संरक्षक,

चित्तौड़गढ़

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2025 -26/ 10411-12

दिनांक : 9.6.2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान - जयपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

Rahul

(राहुल झाझडिया)

उप वन संरक्षक,

चित्तौड़गढ़



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE



क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/ Regional Office, Gandhinagar

ए वींग- 407 एवं 409, "अरण्य भवन", सी.एच.-3 सर्किल के समीप, सेक्टर-10ए, गांधीनगर-382010 / A wing- 407 & 409, "ARANYA BHAWAN", Near CH-3 Circle, Sector-10A, Gandhi Nagar-382010
Email: iro.gandhingar-mefcc@gov.in

दिनांक: 15th मई, 2025

सेवा में,
शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन
जयपुर, राजस्थान।

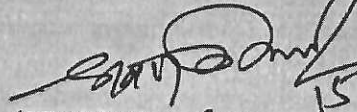
(ऑनलाईन क्रमांक FP/RJ/TRANS/50545/2020)

विषय: Diversion of 6.54 ha of forest land in favour of Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited for creation of 33 KV line to new grid sub-station Jogniya Mata, Chittorgarh Territorial Division.

संदर्भ: राज्य शासन, राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प.1(91)वन/2024 दिनांक 22.04.2025.
महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी। प्रस्ताव के परिक्षणोपरांत यह पाया गया कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये हैं। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि निम्नलिखित आवश्यक जानकारी इस कार्यालय को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये:

1. At the 24th REC, it was determined that the User Agency must supply accurate Employment Generation data and an area calculation sheet prior to its presentation to the REC. Therefore, State Govt is requested to submit the correct data of employment Generation and area calculation sheet.
2. The transmission line shall be laid underground only and accordingly, you are requested to revise the proposal.
3. इस संबंध में राज्य शासन से यह अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड कराये ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

 15/05/2025 भवदीय,

(श्रवण कुमार वर्मा/Shrawan Kumar Verma)
क्षेत्रीय अधिकारी/Regional Officer (RO)

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinagar

प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ वनमण्डल, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण।
4. आदेश पत्रावली।